न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 84 / 19 वाद GCMS NO : 2019/00292
पूर्व प्रकरण संख्या : 161 / 09

1. श्री चारभुजा महाराज स्थान ब्रहापुरी, उदयपुर खातेदार नाबालिग जरिये श्री चारभुजा मन्दिर धार्मिक न्यास, खोड़ी आमली, चांदपोल उदयपुर जरिये मुख्य न्यास श्री महेन्द्र कुमार वैरागी पिता श्री जगन्नाथ दास वैरागी, निवासी–खोड़ी, आमली, चांदपोल, उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. मांगीलाल माली पिता श्री बंशीलाल माली, निवासी सेंट ग्रिगोरियस स्कूल के सामने, उदयपुर
2. गणेशलाल माली पिता श्री रामलाल माली, निवासी–सौ फिट रोड़, खारा कुआ उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच अधिवक्ता वादी
श्री सम्पतलाल बोहरा, श्री आलोक जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :.11.09.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है राजस्व ग्राम आयड़, पटवार हल्का मादड़ी पुराहितान तहसील गिर्वा, उदयपुर के आराजी संख्या 1102, 1103, 1104, 1108 / 2251, 1109, 1110, 1111, 1138 (अगला वाला कुआ) 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 से सम्बन्धित होकर कुल खसरें 14 होकर क्षेत्रफल 0.85500 हैक्टयर भूमि होकर सम्पूर्ण हिस्सा वादी के नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के कुछ हिस्सों पर वादी की तरफ से काश्त का कार्य वर्तमान पुजारी एवं न्यासी उपरोक्त न्यास तथा उसके पूर्वज करते आए है एवं अधिकांश हिस्सा खाली पड़ा है जिसकी देखभाल एवं उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramlesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपभोग खड़मदार की हैसीयत से वादी की तरफ से पूर्व में मन्दिर के पुराजीगण करते आए है व वर्तमान में मन्दिर मूर्ति श्री चारभुजाजी के हितार्थ सम्पदा संरक्षणार्थ सम्यक रूप से गठित विधिक न्यास जिसका गठन उक्त मंदिर मूर्ति के वर्तमान पुराजी एवं खड़मदारों के वशंजो ने किया है। वादी की तरफ से पुजारियों का कब्जा शताब्दीयों से चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि मंदिर मूर्ति श्री चारभुजाजी महाराज की अनन्य सम्पति है जिसपर एक मात्र कब्जा एवं स्वामित्व नाबालिग प्रभु मंदिर मूर्ति श्री चारभुजाजी का रहा है एवं वर्तमान मे भी जारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं उनके नाम से कई अनजान व्यक्ति मौके पर आकर श्री चारभुजा मंदिर धार्मिक न्याय की देखरेख में चली आ रही काश्त एवं उपयोग में दखलन्दाजी पैदा करने की कोशिश कर रहे है तथा इस बात की सम्भावना है कि वादग्रस्त उक्त कृषि भूमि को मौके एवं रेकार्ड की स्थिति को गैरकानूनी तरीके से परिवर्तित करा सकते है। देव की मूर्ति एवं शाश्वत अवयस्क की मानी गई है, जो कभी भी बालिग नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में उक्त मूर्ति की तरफ से मूर्ति के सरंक्षक, सेवादार की हैसियत से मंदिर मूर्ति के विधिक प्रतिनिधि एवं खड़मदार की वंश परम्परा तथा मंदिर मूर्ति की धार्मिक परम्परा अनुसार श्री चारभुजा मंदिर धार्मिक न्यास, खोड़ी, आमली, चांदपोल, उदयपुर पंजीकरण संख्या 08—देव उदय—2009 अस्तित्व में होकर संरक्षण व देखभाल कर रहा है। वाद कारण मई 2008 में तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर आकर मंदिर के पुराजी श्री महेन्द्र वैरागी को उक्त मंदिर की सम्पति पर कब्जा करने की धमकी देकर चले गए है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि में वादी के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के साबिक नम्बर 551/1 रकबा 2 बिस्वा, 551/2 रकबा 10 बिस्वा, 551/3 रकबा 8 बीस्वा, 557 रकबा 18 बिस्वा, 558 रकबा 1 बिस्वा, 559 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 561 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 1102, 1103, 1104, 1108/2251, 1109, 1110, 1111, 1138 (अगला वाला कुआ) 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 से सम्बन्धित होकर कुल खसरें 14 होकर क्षेत्रफल 0.85500 हैक्टयर बने जो वादी के नाम सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत दर्ज कर दी गई है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा कभी नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि के खड़मदार, मयाराम, डालू, उदा, दयाराम, पिता चतरभुज व हीरालाल वल्द नन्दा माली, सकिन आयड़ थे। जगन्नाथ पिता अम्बलाल जी उसके पुजारी थे परन्तु पुराजी का नाम अम्बालाल जी चला आ रहा था। जिन्होने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि को 29.011965 ईस्वी को खड़मदार श्री दौलतराम, हीरालाल, उदयलाल, दयाराम व नेणीराम माली थे, के हक में निष्पादित किया तब से उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। खाते में चारभुजा जी का नाम गलत दर्ज हो जाने से वादी ने जानबूझकर गलत वाद पेश किया है जबकि उक्त जमीन का विक्रय पत्र महेन्द्र कुमार के पिता जगन्नाथ जी द्वारा ही [illegible] कब्जा खड़मदार का होते हुए विक्रय पत्र में कब्जा खड़मदार को सुपुर्द करना [illegible] है। वादग्रस्त भूमि नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

श्री जगन्नाथ जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वज नेणीराम व अन्य श्री हीरालाल, दौलतराम, उदयराम, दयाराम, व वेणीराम को विक्रय की जा चुकी है तथा चारों तरफ पत्थर की कोट बनी हुई है। इस कारण वादी का कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वज नेणीराम व अन्य श्री हीरालाल, दौलतराम, उदयराम, दयाराम, व वेणीराम ने इस जमीन पर कुआ खुदवाया है व इसके अन्दर चार पक्के कमरे व दो केलुपोस मकान भी बने हुए है। प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वजों तथा खड़मदार मयाराम, डालु, उदा, दयाराम पिता चतरभुज व हीरालाल, दौलतराम, उदयलाल, दयाराम, नेणीराम एवं वेणीराम का उनके स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जमीनों के भाव बढ़ जाने से जानबूझकर वादी ने गलत वाद पेश किया है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा निरस्त किया जावे।

प्रकरण में दावे जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी वादग्रस्त खसरा संख्या 1102, 1103, 1104, 1108/2251, 1109, 1110, 1111, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 से सम्बन्धित होकर कुल खसरें 14 होकर क्षेत्रफल 0.8550 हैक्टयर भूमि का रेकर्ड खातेदार होकर मन्दिर मूर्ति के हितार्थ सम्यक् रूप से उपयोग ली जा रही है।

.....वादी

2. आया वादी वादग्रस्त आराजीयात की भूमि के सम्बन्ध में वांछित शाश्वत व्यादेश (निषेधाज्ञा) प्राप्त करने का अधिकारी है

.....वादी

3. आया वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद बिना अधिकार के वादी के नाम दर्ज हो गई है तथा उक्त भूमि वादी के कभी भी कब्जे काश्त की नही रही है व गलत इन्द्राज व कब्जे के अभाव में वादी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है

.....प्रतिवादी

4. आया वादी द्वारा कब्जेधारी को पक्षकार नही बनाया है, उसका वाद पर क्या असर होगा ?

.....प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

5. आया वादग्रस्त भूमि खड़मदार जगन्नाथ द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वज नेणीराम, हीरालाल, दौलतराम, उदयराम, दयाराम, व वेणीराम को विक्रय की जा चुकी है व प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य काबिज काश्त है इसलिए वादी का वाद पोषणीय नहीं है

.....प्रतिवादी

6. आया वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्रतिवादी के पूर्वज या प्रतिवादी के पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित है।

......प्रतिवादी

7. आया वादग्रस्त भूमि का विक्रय भूमि की प्रकृति व शाश्वत नाबालिग के हितार्थ को ध्यान में रखते हुए कानूनन संभव था एंव आया ऐसे किसी विक्रय को जो उपरोक्त प्रकार से हो (यदि कोई हो) कानूनी अधिकार वादी शाश्वत् नाबालिग के मुकाबले में प्रतिवादी के पक्ष में पैदा होते है।

......प्रतिवादी

8. अनुतोष।

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 महेन्द्र वैरागी भोई एवं PW2 जगन्नाथ आत्मज अम्बालाल वैरागी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से वादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य डॅ1 गणेशलाल पिता रामलाल जी माली, DW2 कन्हैयालाल माली पिता स्व. मोहनलाल जी माली, डॅ3 पुरूषोत्तम माली पिता बद्रीलाल माली का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजो को प्रदर्श कराया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। ब्यानकलम् किए गए। प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा वादी का सेवादार उक्त आराजीयात की देखरेख करता है तथा वर्तमान में मंदिर की ओर से गठित न्यास द्वारा संरक्षण का कार्य किया जाता है एवम् एकमात्र कब्जा नाबालिग प्रभु मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा जी महाराज का रहा है। प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्ण काश्त के उपयोग उपभोग में दखन्दांजी करने की कोशिश करते है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मूर्ति मंदिरों की कृषि भूमिया को माफी में दी गई [illegible] पुजारियों / सेवायतों ने कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1[illegible] धारा 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उन्हे खुर्द बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया है ऐसी स्थिति में देव मूर्ति के हितो की सुरक्षा तथा इसके सम्बन्ध में अनावश्यक बाजी को रोकने के लिए भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी किया गया जिसमें मंदिर मूर्ति की जमीन में दर्ज पुजारियों के नाम विलोपित कर पुनः मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए है। उक्त आराजीयात से सम्बन्धित विक्रय बेहनामा सन् 19'65 इस परिपत्र के अनुसार शून्य व निष्प्रभावी है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में निवेदन किया गया किया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी के नाम गलत दर्ज कर दी गई। वादी का एक भी दिन कब्जा नहीं रहा है। उक्त जमीन के खड़मदार मयाराम, डालू, उदा, दयाराम, पिता चतरभुज व हीरालाल वल्द नन्दामाली साकित आयड़ थे। जगन्नाथ पिता अम्बालाल जी मंदिर के सेवक थे परन्तु राजस्व रेकार्ड में पुजारी का नाम अम्बालाल चला आ रहा था जिन्होने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि को दिनांक 29 जनवरी 1965 को खड़मदार श्री दौलतराम, हीरालाल, उदयलाल, दयाराम व नेणीराम व वेणीराम के हक में निष्पादित किया। खाते में चारभुज जी का नाम गलत दर्ज हो जाने से वादी ने जानबूझकर गलत वाद पेश किया है जबकि उक्त जमीन का विक्रय पत्र महेन्द्र कुमार के पिता जगन्नाथ जी द्वारा ही निष्पादित किया गया है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वादी द्वारा निम्न दृष्टांत पेश किए गए :–

1. Rajasthan High Court Bhairu lal Vs Sohani Page no 51
2. RBJ (4) 1997 Ranglal Vs Mst. Basanti Page no 149
3. Supreme Court Shri Thimmaiah Vs Shabira & Ors. Page no 278
4. Supreme Court Chif Eng. Hydel Project Vs Ravinder Nath Page no 278
5. Rajasthan High Court 2008(2)CT(Raj.) Deena & Ors. Vs. Board of Revenue no 825

दौराने बहस प्रतिवादी द्वारा निम्न दृष्टांत पेश किए गए :–

1. RBJ 2015 Rajasthan High Court Page no 51
2. AIR S.C. 2007 Page no 149
3. Civil Times 2008 SC Page no 278
4. Civil Times 2008 Rajasthan Page no 825
5. RBJ 1997 Page no 149
6. AIR 1973 Rajasthan 173

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. . आया वादी वादग्रस्त खसरा संख्या 1102, 1103, 1104, 1108/2251, 1109, 1110, 1111, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 से सम्बन्धित होकर कुल खसरें 14 होकर क्षेत्रफल 0.8550 हैक्टयर भूमि का रेकर्ड खातेदार होकर मन्दिर मूर्ति के हितार्थ सम्यक् रूप से उपयोग ली जा रही है।

.....वादी

- तनकी संख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 राजस्व ग्राम आयड़ पटवार क्षेत्र मादड़ी पुरोहितान, तहसील गिर्वा की जमाबन्दी प्रदर्श कराई जिसमें खाता संख्या 581 के आराजी संख्या 1102, 1103, 1104, 1108/2251, 1109, 1110, 1111, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144 कुल किता 14 कुल रकबा 0.8550 हैक्टयर श्री चारभुजा महाराज स्थान ब्रहमपुरी उदयपुर के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी मंदिर माफिया की ओर से PW1 साक्ष्य महेन्द्र वैरागी भोई एवं PW2 जगन्नाथ आत्मज अम्बालाल वैरागी ने बयानों में बताया कि उक्त जमीन चारभुजा जी महाराज खातेदार काश्तकार है। मंदिर शाश्वत् नाबालिग है, जिसका नियमानुसार ट्रस्ट पंजीकृत है। वादी के शपथ पत्र पर प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई, जिसमें उन्होने बताया कि उक्त भूमि को कभी खड़मदारों को बेचान नहीं किया गया। प्रतिवादी उक्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है। यह भूमि वर्तमान में मूर्ति के हित के रूप में उपयोग में ली जा रही है। यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादी वादग्रस्त आराजीयात की भूमि के सम्बन्ध में वांछित शाश्वत व्यादेश (निषेधाज्ञा) प्राप्त करने का अधिकारी है

..

....वादी

- तनकी संख्या 2 को साबित कराने का भार वादी पर है। वादी चारभुजा जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज होकर पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा संचालित है। वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी की जा रही है। वादीगण का कहना है कि विगत कई दिनों से मौके पर आकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं उनके नाम से कई अजनान व्यक्ति मौके पर वादी एवं वादी की तरफ से श्री चारभुजा मन्दिर धार्मिक न्याय की देखरेख में शान्तिपूर्ण चली आ रही कब्जे काश्त में दखलदांजी पैदा करने की कोशिश कर रहे है। वादी वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है, तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद बिना अधिकार के वादी के नाम दर्ज हो गई है तथा उक्त भूमि वादी के कभी भी कब्जे काश्त की नही रही है व गलत इन्द्राज व कब्जे के अभाव में वादी स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होने से खारीज योग्य है

......प्रतिवादी

➢ तनकी संख्या 3 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादी को है। हमने भू प्रबन्ध विभाग के दस्तवेजों का अध्ययन किया जिसमें प्रदर्श संख्या 10 ग्राम आयड़ तहसील गिर्वा के खाता संख्या 561 में दर्ज भूमि जिसमें चारभुजा जी महाराज माफिदार के रूप में दर्ज है। अतः सेटलमेन्ट एवं भू प्रबन्धन के द्वारा ऐसी कोई त्रुटि नहीं की गई। भू प्रबन्ध के पूर्व भी उक्त भूमि मंदिर के नाम ही दर्ज थी। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब साक्ष्य दस्तावेज ग्वाह में यह कभी भी सिद्ध नहीं कर पाए कि उक्त भूमि भू प्रबन्धन् के पूर्व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज थी। वादीगण उक्त भूमि के अभिलिखित खातेदार है एवं वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तनकी विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण सिद्ध की जाती है।

4. आया वादी द्वारा कब्जेधारी को पक्षकार नही बनाया है, उसका वाद पर क्या असर होगा ?

......प्रतिवादी

➢ यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का है। उक्त भूमि में वादीगण मंदिर चारभुजा जी महाराज अभिलिखित खातेदार है तथा कब्जे के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने साक्ष्य से साबित करना होता है। उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा अपनी राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी करने पर वाद अन्तर्गत धारा काश्तकारी अधिनियम 188 के तहत् पेश किया गया। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण सिद्ध की जाती है।

5. आया वादग्रस्त भूमि खड़मदार जगन्नाथ द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वज नेणीराम, हीरालाल, दौलतराम, उदयराम, दयाराम, व वेणीराम को विक्रय की जा चुकी है व प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य काबिज काश्त है इसलिए वादी का वाद पोषणीय नहीं है

.....प्रतिवादी

➢ तनकी संख्या 5 साबित कराने का भार प्रतिवादी को है। उक्त वादग्रस्त भूमि भू प्रबन्धन् से पूर्व से ही चारभुजा जी मंदिर के नाम दर्ज थी। जिसके खातेदार शाश्वत् नाबालिग मंदिर है एवं एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है। जिसमें वादीगण की ओर से वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, देवस्थान की रिपोर्ट संलग्न है। वादी द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार की गई कि मेरे पिता जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

इस भूमि के खडमदार के रूप में दर्ज थे लेकिन बाद में यह जमीन चारभुजा जी भगवान के नाम दर्ज हो गई। साक्ष्य जगन्नाथ दास पिता अम्बालाल बैरागी द्वारा भी जिरह में स्वीकार किया गया कि यह जमीन वर्तमान मे चारभुजा के नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त जमीन को बेचने बाबत कथन से इन्कार किया है प्रतिवादीगण के पूर्वज इस जमीन के खडमदार नही थे और ना ही इस जमीन पर उनका कोई कब्जा रहा है। तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण द्वारा ठोस आधारों पर साबित नहीं कराने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

6. आया वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख प्रतिवादी के पूर्वज या प्रतिवादी के पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित है।

......प्रतिवादी

➢ तनकी संख्या 6 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादी का है। तनकी संख्या 5 से साबित हुआ है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता नाम के रूप में दर्ज थी, लेकिन बाद में यह जमीन चारभुजा जी भगवान के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण अथवा प्रतिवादीगा के पूर्वज इस जमीन के खडमदार नही थे और ना ही इस जमीन पर उननका कोई कब्जा रहा है वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खड़मदार जगन्नाथ द्वारा प्रतिवादी के पूर्वज या प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित नहीं हुआ है, जिससे तनकी संख्या 6 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

7. आया वादग्रस्त भूमि का विक्रय भूमि की प्रकृति व शाश्वत नाबालिग के हितार्थ को ध्यान में रखते हुए कानूनन संभव था एंव आया ऐसे किसी विक्रय को जो उपरोक्त प्रकार से हो (यदि कोई हो) कानूनी अधिकार वादी शाश्वत् नाबालिग के मुकाबले में प्रतिवादी के पक्ष में पैदा होते है।

......प्रतिवादी

➢ राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार मूर्ति मन्दिरो की कृषि भूमिया को माफी मे दी गई थी जिसमे खडमदार / पुजारियो / सेवायतो ने कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के प्रावधानो के अन्तर्गत उन्हे खुर्द बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया था ऐसी स्थिति मे देव मूर्ति के हितो की सुरक्षा तथा इसके संबध मे अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिये भु प्रबन्ध आयुक्त एवं समस्त जिला कलेक्टर को प्रेषित पत्र क्रमाक प.2 (4) राज. – 4 / 98/37 दिनाक 31. 1991 को जारी किया गया जिसमे मन्दिर मूर्ति की जमीन मे दर्ज पुजारियो के नाम विलोपित कर पुनः मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये इसलिए उक्त मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज है। वादी राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित खातेदार है। वादी के शपथ पत्र पर प्र[illegible] द्वारा जिरह की गई, जिसमें भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उन्होने बताया कि उक्त भूमि को कभी खड़मदारों को बेचान नहीं किया गया। अतः यह तनकी संख्या 7 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि वादीगण चारभुजा जी महाराज अभिलिखित खातेदार है एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 के विरूद्ध सिद्ध हुई है। वादीगण भू प्रबन्धन् से पूर्व ही उक्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। मंदिर माफीकी भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पुजारियों के नाम हटाने के आदेश दिए गए थे। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। उक्त भूमि पर अगर प्रतिावदीगण का कब्जा है तो वादीगण इसके लिए पृथक से कब्जा बेदखली का वाद प्रस्तुत करें। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 84/19 सन 2019 अनवान (1) श्री चारभुजा महाराज स्थान ब्रहापुरी, उदयपुर खातेदार नाबालिग जरिये श्री चारभुजा मन्दिर धार्मिक न्यास, खोड़ी आमली, चांदपोल उदयपुर जरिये मुख्य न्यास श्री महेन्द्र कुमार वैरागी पिता श्री जगन्नाथ दास वैरागी, निवासी–खोड़ी, आमली, चांदपोल, उदयपुर बनाम (1) मांगीलाल माली पिता श्री बंशीलाल माली, निवासी सेंट ग्रिगोरियस स्कूल के सामने, उदयपुर (2) गणेशलाल माली पिता श्री रामलाल माली, निवासी–सौ फिट रोड़, खारा कुआ उदयपुर (3) राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच अधिवक्ता वादी एवं श्री सम्पतलाल बोहरा, श्री आलौक जैन प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि

उक्त तनकीवार विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि वादीगण चारभुजा जी महाराज अभिलिखित खातेदार है एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 के विरूद्ध सिद्ध हुई है। वादीगण भू प्रबन्धन् से पूर्व ही उक्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। मंदिर माफीकी भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पुजारियों के नाम हटाने के आदेश दिए गए थे। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। उक्त भूमि पर अगर प्रतिावदीगण का कब्जा है तो वादीगण इसके लिए पृथक से कब्जा बेदखली का वाद प्रस्तुत करें। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested